प्रेस नोट
***जनपद – संतकबीरनगर ***
दिनाँक 25.02.2026

अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध धर्मसिंहवा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 21 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री अमित कुशवाहा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अब्दुल कलाम पुत्र करीमुल्लाह निवासी मेंहदूपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त उसके घर के पास में छापेमारी कर अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ करते हुए 21 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
घटना का विवरण –
आज दिनाकं 24.02.2026 को सूचना मिली कि ग्राम मेंहदूपार में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने खेत क्यारी बनाकर अफीम का पौधा लगाया गया है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त को 21 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया।
बरामदगी:-
थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री अमित कुशवाहा* की उपस्थिति में बाउंड्री के बगल मे खेत एक क्यारी में अफीम के पौधे लगे पाए गए, जिनमें कुल 21 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे (जड़, फल व फूल सहित) को बरामद किया गया।
पूछताछ का विवरण:
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपने खेत में अफीम लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अफीम की बुआई की थी।
पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0स0 18/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम का विवरण:- थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री अमित कुशवाहा,उ0नि0 श्री शिव कुमार यादव, का0 ओमवीर सिंह, का0 दीपक खरवार, म0का0 पूनम गौड़, म0का0 आशा देवी।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.02.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2026 धारा 64(1), 87,137(2),351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हीरालाल पुत्र कल्लू निवासी कटार जोट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को हैसर बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 08.02.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राम केवल भारती, का0 आशुतोष पाण्डेय।

थाना धर्मसिंहवा अन्तर्गत एक लड़की द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त होने व पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा दी गयी बाईट।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 6001 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टकरा होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6001 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत ग्लोबल एकेडमी सरैया से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01. संदीप मिश्रा पुत्र महेन्द्रनाथ मिश्रा निवासी सहजनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर 02. आदित्य कुमार निवासी चंगेरा-मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री मेवालाल, मु0का0 संजय पाल, हो0चा0 अनिल पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 278 वाहनों से 316,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 278 वाहनों से 316,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के अपराध में एक अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 24.02.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री समस्व रुप कमल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर बावत अभियुक्त भगौती सिंह उर्फ राम आशीष चौहान पुत्र निर्मल निवासी मदरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थान धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री रामआसरे कन्नौजिया द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
सजा विवरणः-
मु0अ0सं0 06/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 2500-2500 रु0 (कुल 7500 रु0) के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 24.02.2026 को *माननीय न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर* द्वारा 03 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2500-2500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विवरणः-
दिनांक 26.11.2005 को वादिनी श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी लाल बहादुर राजभर निवासी अशरफपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा में मार पीट के सम्बन्ध में एनसीआर 249/2005 धारा 323/504/506(2) भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. रामजतन पुत्र दूबर 02.हरिश्चन्द्र पुत्र रामजतन, 03. विलायती देवी पत्नी हरिश्चन्द्र निवासीगण अशरफपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 323/504/506(2) भादवि के अपराध के लिए 2500-2500 हजार रुपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतेंगे।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 25.02.2026 को *माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर* द्वारा 01 अभियुक्त को गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष के कारावास व 5000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 30.10.2003 को वादी थानाध्यक्ष महुली श्री बी0बी0 सिंह यादव की तहरीर के आधार पर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पर अभियुक्त कृष्णमणि सिंह पुत्र रामसूरत सिंह निवासी बलही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 576/2003 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की गयी।

सजा का विवरण- मु0अ0सं0 576/2003 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

□ जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन □

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 25.02.2026 को *माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर* द्वारा 01 अभियुक्त को गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष के कारावास व 5000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 30.10.2003 को वादी थानाध्यक्ष महुली श्री बी0बी0 सिंह यादव की तहरीर के आधार पर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पर अभियुक्त कृष्णमणि सिंह पुत्र रामसूरत सिंह निवासी बलही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 576/2003 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की गयी।

सजा का विवरण- मु0अ0सं0 576/2003 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।